

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-बिजनौर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
अपूर्वा अग्रवाल (प्रबन्धक)
एस.पी.कान्वेंट रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल
तिगरी, चान्दपुर बिजनौर।(उ.प्र) 246725

पत्रांक 69 / ग्रा0अ0वि0/अनापत्ति प्रमाण-पत्र/2023-24

दिनांक 30/11/24

सन्दर्भ :- आपका पत्र 19 दिनांक-28.12.2023

विषय:- एस.पी.कान्वेंट रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल तिगरी, चान्दपुर जिला बिजनौर के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एस.पी.कान्वेंट रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल तिगरी, चान्दपुर बिजनौर। के विद्यालय भवन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भवन का निर्माण कार्य 2003 में कराया गया है। भवन वर्तमान में तीन मंजिल स्तर तक निर्मित है। प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र के अनुसार भूतल पर कर्बड क्षेत्रफल 1073.88SQM, प्रथम तल पर कर्बड क्षेत्रफल 1073.88SQM एवं द्वितीय तल 260.25SQM है

प्रथम दृष्टया भवन के सभी कक्षा-कक्षों की दीवार व छतों में पूर्ण मजबूती प्रतीत होती है और भवन में धूप व ठण्ड के बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। भवन में बने सभी लगभग कक्षा-कक्ष हवादार एवं रोशनीयुक्त है।

21- Annexure-'B'- Form for first application to develop, erect, re-erect or to make alteration in any place in a building-Duly signed by manager of school .

22- Annexure-'C'- Form for Certificate for structural design sufficiency - Duly signed by manager of school .

23- Annexure-'D'- Form for Supervision - Duly signed by manager of school .

24- Annexure-'G'- Form for certificate for execution of work as per structural safety requirements Duly signed by manager of school .

25. Annexure-'H'- Form For completion certificate - Duly signed by manager of school .

Annexure-'C' & Annexure-'D' में प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानक के अनुसार निर्माण कराया जायेगा। प्रथम दृष्टया उपरोक्त विद्यालय का निर्माण एन0बी0सी0-2005 के अनुसार प्रतीत होता है। अगर विस्तृत जांच उपरान्त विद्यालय भवन का निर्माण एन0बी0सी0-2005 के अनुसार विशिष्टियों से भिन्न पाया जाता है तो उपरोक्त में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-बिजनौर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अतः जोन -4 में होने के कारण उक्त भवन की तकनीकी जांच समय-समय पर होनी अनिवार्य है।

अतः उपरोक्त शर्तों एवं दिये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर नेशनल बिल्डिंग कोड के सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

(भानु राणा)

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-बिजनौर।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद-बिजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

2. मुख्य विकास अधिकारी जिला-बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-बिजनौर।

एम. पी. आन्वैट रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल लिगेरी,
चान्दपुर जिला - बिजनौर

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि
सुरक्षा से सम्बन्धित चेकलिस्ट

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	
1	भवन में कुल कितनी मंजिलें (तल) हैं?	02
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्ग मी०) है?	हाँ
3	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
4	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	नहीं
6	क्या भवन को छत आर०सी०सी० की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
7	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हाँ
8	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
9	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्री गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	नहीं
11	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
12	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
13	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
14	क्या विद्यालय भवन में न्यूनतम दो स्टोयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
15	क्या भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा गैज़र 150 मिमी० है?	हाँ
16	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ
17	क्या भवन के कोरीडोर की ऊँचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	हाँ
18	क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, कैरोसिन, कुकिंग गैस, फुगगा फर्नीचर, लकड़ी, कोयला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	हाँ
19	क्या भवन में रसाई घर मुख्य भवन से अलग है?	
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	chemistry lab

मध्यम विभाग
प्राथमिक अभियन्ता विभाग
उप बाण्ड - बिजनौर

22	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया ?	नहीं
23	क्या भवन में विकलांगों हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500मिमी0 तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	हां
24	क्या भवन की सीढ़ियां छत पर खुलती हैं?	हां
25	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हां
26	विद्युत व्यवस्था चैक लिस्ट	
27	क्या भवन से विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 2.5मी0 एवं होरीजोन्टल दूरी 1.2मी0 है?	
28	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (1000 वोल्ट या अधिक की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 3.70मी0 है एवं होरीजोन्टल दूरी 2.0 मी0 है?	
29	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इक्विपमेन्ट आई0एस0आई0 मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	
30	क्या भवन का विद्युत मीटर कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष मुख्य भवन में स्थित है?	
31	अग्नि सुरक्षा संबंधी चैक लिस्ट	
32	क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों का आग एवं दैवीय आपदाओं से सामूहिक बीमा कराया गया है?	
33	क्या भवन में अग्निशानक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	
34	क्या भवन में फर्स्ट एड फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	
35	क्या विद्यालय के छात्रों/ अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	
36	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	

उपलब्ध कराये गये डिजायन इंजीनियर/आर्किटेक्ट के प्रमाण पत्रों एवं मानचित्रों के आधार पर विद्यालय में NBC-2005 के अनुरूप एवं प्रथम दृष्टया सुरक्षित है।

सहायक अभियन्ता
शैक्षणिक अभियन्तृ विभाग
उप-डिवीजन - विजयनगर